भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2762
उत्तर देने की तारीख-12/08/2026

एनईपी का कार्यान्वयन

2762 **श्री संजय सेठ:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तीन शैक्षणिक चक्रों के दौरान केंद्रीय संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में प्राप्त प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं;
(ख) माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कोडिंग कौशल को समाहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या मंत्रालय ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी तथा गणित क्षेत्रों में बालिकाओं के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने हेतु लक्षित छात्रवृत्तियां आरंभ की हैं;
(घ) प्रधानमंत्री शोध अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत कितना शोध अनुदान वितरित किया गया है; और
(ङ) मिश्रित अधिगम हेतु मानक डिजिटल संरचना स्थापित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) की घोषणा के बाद, इसके कार्यान्वयन के लिए कई परिवर्तनकारी प्रयास शुरू किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों में काफी सुधार हुआ है।

स्कूल शिक्षा में कई पहल की गई हैं जैसे कि स्कूलों के उन्नयन के लिए पीएम श्री (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया); सभी छात्रों के लिए समावेशी और समान कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए समग्र शिक्षा; ग्रेड 3 तक की बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान सुनिश्चित करने के लिए नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरसी (निपुण भारत); विद्या - प्रवेश - तीन माह का खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए दिशानिर्देश; डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी

प्रयासों को एकीकृत करने के लिए पीएम ई-विद्या; 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए तैयार की गई खेल-आधारित अधिगम शिक्षण सामग्री के लिए बुनियादी स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-एफएस) और जादुई पिटारा का शुभारंभ; निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) 1.0, 2.0 और 3.0; विद्या समीक्षा केंद्र; एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम; शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को ऊर्जावान और उत्प्रेरित करने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना के निर्माण के लिए राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा आर्किटेक्चर (एनडीईएआर); सभी 15 वर्ष और उससे अधिक के गैर-साक्षर को लक्षित करने वाली एक योजना "न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम या उल्लास" का कार्यान्वयन, आदि।

उच्चतर शिक्षा में, विभिन्न पहल/सुधार किए गए हैं जैसे कि राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ) दिशानिर्देशों/विनियमों के साथ संयोजन में जैसे स्नातक कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क; उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किए गए शैक्षणिक कार्यक्रम में बहु-प्रवेश और निकास; उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बहु-विषयक संस्थानों में बदलना; एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम का अनुसरण करना; व्यक्तिगत छात्र की स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर आईडी) जो उनकी शैक्षिक यात्रा और पूर्व-प्राथमिक से उच्चतर शिक्षा तक की उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए आजीवन पहचान के रूप में कार्य करेगी; मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना की शुरुआत अन्य बातों के साथ साथ एक सरल, पारदर्शी और पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से संपार्श्विक मुक्त, गारंटर मुक्त ऋण को सक्षम करना; ओडीएल/ऑनलाइन शिक्षा का संशोधित विनियमन; बेहतर शिक्षण के लिए संकाय में दक्षताओं के निर्माण के लिए पुनः दृष्टित मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम; स्वयम प्लेटफॉर्म का उपयोग करके नियमित पाठ्यक्रमों में 40% तक क्रेडिट की अनुमति देना; विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत मौजूदा श्रमशक्ति के कौशल और कौशल उन्नयन को बढ़ाने और पुन: कौशल के उद्देश्य से नए स्वयम प्लस पोर्टल का शुभारंभ; समर्थ के माध्यम से प्रवेश से लेकर डिग्री प्रदान करने तक उच्चतर शिक्षा संस्थानों के प्रशासन में प्रौद्योगिकी का एकीकरण; उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उद्योग विशेषज्ञों के साथ काम करने में सक्षम बनाने के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पर दिशानिर्देश; भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विदेश से छात्रों को प्रवेश देने के लिए अतिरिक्त सीटों के लिए दिशानिर्देश; ट्विनिंग, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रम संचालित करने के लिए भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग; भारत में परिसर स्थापित करने के लिए विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अनुमति देने के लिए विनियमन; अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों की बढ़ी हुई प्रतिष्ठा; शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणाली का समावेशन आदि।

(ख): एनईपी 2020 में यथापरिकल्पित के अनुसार, केंद्र सरकार ने रोजगार क्षमता, श्रम की गरिमा और बुनियादी स्तर से कार्य-आधारित कौशल और दक्षताओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम में कौशल और व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ़-एसई), एनईपी 2020 के साथ अनुकूलित, शैक्षणिक विषयों के साथ समानता सुनिश्चित करने के लिए इसे सीधे मध्य और माध्यमिक चरणों में एकीकृत करके कौशल शिक्षा को संस्थागत बनाता है। छात्रों को बुनियादी कौशल और व्यावहारिक जागरूकता बनाने और ग्रेड उपयुक्त कौशल दक्षताओं को विकसित करने के लिए व्यावसायिक शिल्प के साथ संलग्न करने के लिए सीखने के पर्याप्त घंटे आवंटित किए गए हैं।

एनईपी 2020 के अनुसरण में, सरकार ने व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 6 से 8 के दौरान 10 बैगलेस दिनों की अवधारणा प्रस्तुत की है। परियोजना -आधारित अधिगम के दृष्टिकोण के माध्यम से व्यावहारिक कार्य अनुभव प्रदान करने और पाठ्यक्रम में कौशल शिक्षा के एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए मध्य चरण (ग्रेड 6 से 8) में एक कौशल विषय पेश किया गया है। एनसीएफ़-एसई के अनुपालन के रूप में, एनसीईआरटी ने कक्षा VI से VIII के लिए कौशल शिक्षा (कौशल बोध) के लिए पाठ्यपुस्तकें विकसित की हैं। स्कूल कला, हस्तशिल्प, प्राकृतिक खेती, पर्यटन आदि से संबंधित व्यावहारिक और सैद्धांतिक पहलुओं से शिक्षार्थियों को अवगत कराकर "लोक विद्या" के माध्यम से स्थानीय ज्ञान और व्यावहारिक कौशल को बढ़ावा दे रहे हैं।

माध्यमिक स्तर (ग्रेड 9 से 12) पर, एनसीईआरटी ने रोजगार कौशल के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें विकसित की हैं, जो सभी कौशल पाठ्यक्रमों में सम्मिलित हैं। एनसीईआरटी द्वारा विकसित कौशल पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी की भूमिकाओं पर आधारित हैं, जो राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत हैं, जो गुणवत्ता आश्वासन का ढांचा है।

शिक्षा मंत्रालय देश भर के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने और प्रौद्योगिकी समर्थित शिक्षण को मजबूत करने के लिए समग्र शिक्षा के तहत पीएम ई-विद्या और दीक्षा जैसी आईसीटी और डिजिटल पहल को लागू करता है। कौशल/व्यावसायिक शिक्षा भी समग्र शिक्षा योजना के तहत एक घटक है। योजना के तहत, इन पहलों के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत अन्य बातों के साथ साथ कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को कौशल शिक्षा के संपर्क में लाने और कक्षा 9 से 12 तक कौशल पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को सहायता प्रदान की जाती है, जो एनएसक्यूएफ के साथ अनुकूलित हैं। माध्यमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 9 और 10 में, छात्रों को एक अतिरिक्त विषय के रूप में कौशल मॉड्यूल प्रस्तुत किए जाते हैं। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, अर्थात कक्षा 11 और 12 में, कौशल पाठ्यक्रम एक अनिवार्य (वैकल्पिक) विषय के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।
कौशल शिक्षकों/प्रशिक्षकों के लिए नियमित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके क्षेत्र में उनके व्यावहारिक शिक्षण और प्रशिक्षण कौशल को बढ़ाने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। वे उद्योग का अनुभव और नवीनतम तकनीकों और प्रथाओं से भी परिलित होते हैं।

कौशल आधारित शिक्षा के लिए डिजिटल संसाधन ऑनलाइन सैद्धांतिक शिक्षा को ऑफ़लाइन व्यावहारिक सत्रों के साथ संयोजित करने के लिए बनाए गए हैं ताकि कौशल शिक्षा के साथ सामान्य शिक्षा के एकीकरण के माध्यम से व्यापक कौशल आधारित शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।

एनसीईआरटी ने कौशल शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करने के लिए ई -लर्निंग सामग्री, वीडियो और वर्चुअल स्किल लैब (वीएसएल) विकसित किए हैं, विशेषकर जहां भौतिक संसाधन सीमित हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी छात्र शैक्षणिक शिक्षा के साथ-साथ व्यावहारिक कौशल विकसित कर सकें।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) युवा पीढ़ी के कौशल और दक्षता को उन्नत करने और उपलब्ध विभिन्न करियर विकल्पों का पता लगाने के लिए कक्षा 9-10 में 22 कौशल विषय और कक्षा 11-12 में 43 कौशल विषय प्रदान करता है।

एनसीईआरटी ने सीबीएसई के सहयोग से शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से कक्षा III से VIII के लिए एक समर्पित कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम शुरू किया है। साथ ही, आईआईटी मद्रास के साथ साझेदारी में स्वयम प्लस प्लेटफॉर्म पर तीन नए एआई पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य अत्याधुनिक डिजिटल कौशल को वैश्विक दर्शकों के लिए सुलभ बनाना है, जिसके लिए पहले से कोडिंग अनुभव की आवश्यकता है।

(ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश उच्चतर शिक्षा संस्थान संबंधित राज्यों के दायरे में हैं। केंद्र और राज्य मिलकर छात्रों, विशेष रूप से अल्प सेवित क्षेत्रों और वंचित समुदायों में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एनईपी 2020 का उद्देश्य महिलाओं को अधिक पहुंच प्रदान करने सहित पहुंच, भागीदारी और अधिगम के परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटना है।

सरकार ने उच्चतर शिक्षा में जीईआर बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिसमें मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अधीन उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति और फैलोशिप योजनाओं को कार्यान्वित करना शामिल है। उच्चतर शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना को कार्यान्वित करता है, जिसके तहत भारत में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों, जिनमें एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्र शामिल हैं, को योजना दिशानिर्देशों के अनुसार छात्रवृत्ति मिलती है। इसके अलावा, भारत सरकार ने उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों के लिए समपार्श्विक-मुक्त और गारंटर मुक्त शिक्षा ऋण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए नवंबर 2024 में एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना पीएम-विद्यालक्ष्मी शुरू की है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले एकल बालिका छात्रवृत्ति योजना को कार्यान्वित कर रहा है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) एआईसीटीई प्रगति छात्रवृत्ति योजना फॉर वीमेन (डिग्री और डिप्लोमा); एआईसीटीई सरस्वती छात्रवृत्ति योजना फॉर गर्ल स्टूडेंट्स (बीबीए, बीसीए और बीएमएस डिग्री); एआईसीटीई पीजी छात्रवृत्ति योजना; एआईसीटीई सक्षम छात्रवृत्ति योजना (डिग्री और डिप्लोमा); एआईसीटीई स्वनाथ छात्रवृत्ति योजना (डिग्री और डिप्लोमा); एआईसीटीई डॉक्टरेट छात्रवृत्ति (एडीएफ); एआईसीटीई यशस्वी (यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप और समग्र शैक्षणिक कौशल उद्यम पहल) योजना 2024 और एआईसीटीई पोस्ट-डोकटोरल छात्रवृत्ति (पीडीएफ़) जैसी छात्रवृत्तियों के माध्यम से एसटीईएम क्षेत्रों में छात्राओं सहित छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इन पहलों का उद्देश्य वित्तीय बाधाओं को कम करना और एसटीईएम विषयों में निरंतर भागीदारी और करियर प्रगति को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा, छात्रावास आवास, करियर परामर्श, मातृत्व लाभ, संरचित मार्गदर्शन, एक्सपोजर विज़िट और रोल मॉडल के साथ बातचीत जैसे प्रावधानों को शामिल किया गया है ताकि महिलाओं की शिक्षा और अनुसंधान में निरंतरता को सुविधाजनक बनाया जा सके, कम से कम कठिनाई हो सके और एसटीईएम करियर में निरंतर जुड़ाव को बढ़ावा दिया जा सके।

केंद्रीय बजट 2026-27 में एसटीईएम संस्थानों/पाठ्यक्रमों में लड़कियों के नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण/पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिले में 1 बालिका छात्रावास स्थापित करने की भी घोषणा की गई है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) में स्नातक कार्यक्रमों में महिला नामांकन में सुधार लाने के लिए, अतिरिक्त सीटें बनाई गईं जिससे महिला नामांकन में वृद्धि हुई।

इन पहलों के परिणामस्वरूप, उच्चतर शिक्षा में भारत का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) वर्ष 2014-15 में 23.7 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 30 हो गया। इसी अवधि के दौरान महिला जीईआर 22.9 से बढ़कर 31.2 हो गया।

(घ): सरकार ने भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में उच्च-गुणवत्तावाला अनुसंधान करने के लिए उत्कृष्ट व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो (पीएमआरएफ) योजना शुरू की है। आज तक, कुल 3,688 विद्वानों को प्रवेश दिया गया है और पीएमआरएफ 1.0 के तहत 1,416 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ङ): एनईपी 2020 में अधिगम को मजबूत करने, शिक्षण के मिश्रित तरीकों को सक्षम करने और देश भर में डिजिटल पहुंच का विस्तार करने के लिए स्कूल की अवसंरचना में सुधार पर

जोर दिया गया है। स्कूल और उच्चतर शिक्षा क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय कई योजनाओं और पहलों को कार्यान्वित कर रहा है। इनमें पीएम ई-विद्या, दीक्षा, पीएम श्री योजना, स्वयम और प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) शामिल हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ, आईसीटी-संचालित शिक्षण और अधिगम, डिजिटल सामग्री, ऑनलाइन शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम और अन्य डिजिटल शिक्षा मध्यवर्तनों का समर्थन करते हैं। एबीसी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर आईडी) डिजिटल आर्किटेक्चर के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है जो एक छात्र की शैक्षिक यात्रा और पूर्व प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक की उपलब्धियों को ट्रैक करता है।

उच्च शिक्षा के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे स्वयम, स्वयम प्रभा, ई-पीजी पाठशाला और यूजीसी ई-रिसोर्स पोर्टल छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सामग्री तक पहुंच प्रदान करते हैं। यूजीसी ई-रिसोर्स पोर्टल का डिजिटल सेवा पोर्टल के साथ एकीकरण होने से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से पहुंच का विस्तार हुआ है, जबकि चयनित सामग्री क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराई गई है।
